536/XVII [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

सेवा में

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर 2011

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या मे सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

शा0स0 –158 / XVII(1)-09(11)/2004 दिनांक 04 अगस्त, 2004 शा0स0–900 / XVII(1)-03 / 2005–09(102) / 05 दिनांक 24 मई, 2005 शा0स0–209 / पी0एस0–स0सै0क0 / 2006 दिनांक 03 मार्च, 2006 शा0स0–77 / XVII-3 / 11–09(17) / 2004 दिनांक 23 फरवरी, 2011

उपनल यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल द्वारा स्वयं अपना संचालन व्यय वहन किया जाता है। उपनल का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों एव उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराना है। चूंकि उपनल राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के रूप मे भी कार्यरत है इसलिए उपनल को मुख्य नियोक्ता (Principal Employer) की आवश्यकताओं / माँग को ध्यान में रखते हुए संविदा कर्मी उपलब्ध कराना पडता है। इसी क्रम में उपनल एस0एस0बी0 गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर सेवायोजित करने का प्रयास भी कर रहा है।

2

[illegible]

[illegible]

[illegible] विभाग आदि (उपनल के [illegible] एवं सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के [illegible] एवं भत्तों को इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन दिनांक 01 नवम्बर 2011 से पुनरीक्षित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है कि ये दरें संविदा सेवा पर कार्यरत कार्मिकों को प्रदत्त न्यूनतम दरें है अर्थात यदि नियोक्ता विभाग (Principal Employer) अपने विभाग में सृजित पद के अनुरूप उच्चतर वेतनमान / मानदेय प्रदान करे अथवा उच्च दरों पर भुगतान करे, तो नियोक्ता विभाग ऐसा कर सकते है।

3 पार्श्वांकित शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में चिन्हित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा / तकनीकी / विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक / वीर नारियाँ / उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिकों की धर्मपत्नी को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी.डी.एस. कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. उपनल को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से छूट प्रदान की गयी है अर्थात् उपनल से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करते समय निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती अर्थात् नियोक्ता विभाग अपनी आवश्यकतानुसार उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं / निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के निर्देशानुसार देय होंगी।

7 उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार / जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु कार्यालय अवकाश के समय भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते है तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

[illegible]

[illegible] स्थान पर दरों पर तदनुसार लागू होगी।

9 [illegible] पैनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज / सर्विस टैक्स देय न होगा।

10 यह आदेश पूर्व में जारी शा0स0–19 / XVII(1)-03 / 07–102(सै.क.) / 2002, दिनाक 16 जनवरी 2007, शा0स0–392 / XVII(2) / 2008–09(17) / 2004 दिनांक 03 जुलाई 2008, शा0स0–220 / XVII-3 / 10–09(17) / 2004 दिनांक 24 मई 2010 को अतिक्रमित भी करता है।

11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:–43(NP) / XXVII(3) / 2011–12 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या:– 596 / XVII-3 / 11–09(17)04 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सी० एम० एस० बिष्ट)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या — [illegible]/XVII-3/2011-09(17)/2004
दिनांक [illegible] नवम्बर, 2011 का परिशिष्ट 'क'

(पैरा 2 के सन्दर्भ में)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण

क्र0सं0	विवरण	अकुशल	अर्द्धकुशल	कुशल	उच्चकुशल
1	बेसिक वेतन बी0डी0ए0 सहित	4850	5770	6530	7400
2	ग्रेच्यूटी क्र0 1 का 4.81%	233	278	314	356
3	मकान भत्ता क्र0 1 का 10%	485	577	653	740
4	बोनस ₹ 3500 का 8.33%	292	292	292	292
5	कपड़ा भत्ता क्र0 1 का 10%	485	577	653	740
6	वेतन (क्र0 1 से 5 तक)	6345	7493	8442	9528
7	ई0एस0आई0 क्र0 1 का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	230	274	310	352
8	ई0पी0एफ0 क्र0 1 का 13.61% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान)	660	785	0	0
9	कुल योग (क्र0सं0 6+7+8)	7235	8552	8752	9880
10	कटौती (ई0एस0आई0 क्र0 7)	230	274	310	352
11	कटौती (ई0पी0एफ0 क्र0 8)	660	785	0	0
12	कटौती (ई0पी0एफ0) कर्मचारी अंश—क्र0 1 का 12%	582	692	0	0
13	कटौती (ई0एस0आई0) कर्मचारी अंश—क्र0 1 का 1.75%	85	101	114	130
14	कुल कटौतियाँ (क्र0 10+11+12+13)	1557	1852	424	482
15	शुद्ध देय (क्र0 9—14)	5678	6700	8328	9398
16	अवकाश राहत (क्र0 9 का 28.98%)	2097	2479	2536	2863
17	सर्विस चार्ज (क्र0 9 का 2.5%)	181	214	219	247
18	कुल (क्र0 9+17)	7416	8766	8971	10127
19	सर्विस टैक्स (क्र0 18 का 10.3%)	764	903	924	1043
20	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (18+19)	8180	9670	9895	11170
21	मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (20+16) अवकाश राहत सहित	10277	12149	12431	14034

पदों का वर्गीकरण

(क) अकुशल— चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर, अनुसेवक, हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, वार्डब्वाय, वार्ड आया, टेलीफोन अर्दली, माली, चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) अर्द्धकुशल— मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियनय, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक स्टोर कीपर, गेज रीडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

[illegible] डाटा एन्ट्री [illegible] फार्मासिस्ट सहायक सुरक्षा गार्ड आई०टी०आई० प्रशिक्षित [illegible] वाहन चालक [illegible] काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये। [illegible] अतिरिक्त मानदेय दिया जा सकता है।

(घ) उच्च कुशल–कनिष्ठ अभियन्ता, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ड) अधिकारी वर्ग–प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होंगे --

संकलित वेतन	सर्विस चार्ज 2.5 %	योग	सर्विस टैक्स 10.3%	उपनल को देय कुल धन राशि
24500.00	612.50	25112.50	2650.00	27762.50

(सी०एम०एस० बिष्ट)
अपर सचिव